UPPG040166752026

Criminal Misc. Cases/1598/2026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या- 23, प्रतापगढ़

राज्य बनाम राम सेवक आदि

दिनांक-14.08.2026

1. पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **राम सेवक, अशोक यादव, मंजीत यादव व नितिन यादव** द्वारा मु0 अ 0 सं0-197/2020, अंतर्गत धारा-323, 504, 506, 427 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के सम्बन्ध में थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के प्रकरण में जमानत बंधपत्र/व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण आज व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

2. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रतिभू दाखिल करने हेतु इन कथनों पर बल दिया गया कि अपराध सात वर्ष से कम सजा से दण्डनीय है। उक्त वाद में दौरान विवेचना प्रार्थीगण गिरफ्तार नहीं हुए हैं और माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था श्रीमती बच्ची देवी बनाम राज्य में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण जमानत/ बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत/ बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति प्रदान करने का कृपा करें।

3. अभियोजन ओर से प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अपराध गंभीर व अजमानतीय है जिस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

4. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। आरोप पत्र बिना अभियुक्तगण की दौरान विवेचना गिरफ्तारी के दाखिल किया गया है। इन तथ्यों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित **Satendra Antil vs. Central Bureau of Investigation Miscellaneous Application no. 1849 of 2021 in Special Leave Petition (Cri.) no. 5191 OF 2021 में पारित निर्णय दिनांकित-11.07.2022 तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Bachchi Devi vs. State of U.P. and Another Application U/S 528 B.N.S.S No. 6400 of 2025** के मामले में पारित निर्णय दिनांकित 12.08.2025 में आदेशित निर्देशों के आलोक में देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **राम सेवक, अशोक यादव, मंजीत यादव व नितिन यादव** की ओर से मु0 अ 0 सं0-197/2020, अंतर्गत धारा-323, 504, 506, 427 भारतीय दण्ड संहिता, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में मु0-20,000/-(बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाती है। बंधपत्र व प्रतिभू पत्रावली में शामिल मिसिल हो।

(शान्तनु सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या-23, प्रतापगढ़।